छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 366/2006</u>

श्री ए.के.सिंह,
प्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 31 अक्टूबर 2006)

श्री ए.के.सिंह के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालक, उद्योग संचालनालय से आवेदन पत्र दिनांक 7–3–2006 के द्वारा नस्ती क्रमांक–1/स्था0/सतर्कता/2004 की नोटशीट की छायाप्रति, अप्रेल 2002 से दिनांक 8–4–2003 की अवधि में औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू–अर्जन की कार्यवाही राजस्व विभाग की अनुमति उपरांत वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की सहमति से उद्योग संचालनालय के द्वारा भू–अर्जन करने हेतु कलेक्टर को भू–अर्जन के निर्देश दिये जाने वाले समस्त प्रकरण में राजस्व विभाग के द्वारा दी गई अनुमति संबंधी उल्लेख की छायाप्रतियों की मांग की। लोक सूचना अधिकारी, उद्योग संचालनालय के द्वारा बिन्दु क्रमांक–2 भू–अर्जन के संबंध में जानकारी देने हेतु उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को पत्र भेजा गया तथा आवेदक को बिन्दु क्रमांक–2 के संबंध में सूचित किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–2(एफ) के अंतर्गत नोटशीट की छायाप्रति नहीं दी जा सकती। साथ ही यह भी सूचित किया गया कि राजस्व विभाग की अनुमति संबंधी कोई अभिलेख संचालनालय में संधारित नहीं होता है। इससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी अपर संचालक, उद्योग के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11 मई 2006 के द्वारा अपीलार्थी की अपील अमान्य की, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी ने अपने जवाब में बतलाया कि नोटशीट की छायाप्रति सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती तथा भू–अर्जन की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहती। अपीलार्थी का यह तर्क है कि नोटशीट सूचना के परिभाषा के अंतर्गत है तथा भू–अर्जन की जानकारी संचालनालय में उपलब्ध है। अपीलार्थी ने यह भी बतलाया कि उसने वांछित समयावधि में कितने प्रकरण में राजस्व विभाग की सहमति के बाद भू–अर्जन के उपरांत उद्योग संचालनालय के द्वारा भूमि आबंटित की गई यह जानकारी मांगी थी, प्रतिअपीलार्थी ने जानकारी जानबूझकर नहीं दी। आयोग के द्वारा दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा तर्कों को सुना गया। जहां तक वांछित नस्ती के नोटशीट की छायाप्रति देने का संबंध है, अधिनियम की धारा–2(एफ) के अंतर्गत सूचना का परिभाषा में नोटशीट सम्मिलित है। अधिनियम में नोटशीट की छायाप्रति न दिये जाने का उल्लेख नहीं है। दस्तावेज की परिभाषा में नोटशीट भी आती है। अतः अपीलार्थी को वांछित नोटशीट की छायाप्रति प्राप्त करने का अधिकार है। अपीलार्थी ने द्वितीय बिन्दु में राजस्व विभाग की अनुमति के पश्चात् भूमि आबंटित करने के संबंध में आयुक्त, उद्योग के द्वारा दिये गये निर्देशों की छायाप्रति चाही गई है। भू–अर्जन की जानकारी उद्योग संचालनालय मे ंरहती है, अतः आयुक्त, उद्योग के द्वारा उद्योगों को भूमि आबंटित करने के जो भी निर्देश दिये गये हैं उसकी प्रति अपीलार्थी को दी जाना चाहिए। यदि आवेदन अस्पष्ट है, तो अपीलार्थी को नियमानुसार अभिलेख अवलोकन कराने का अवसर देकर उसके द्वारा वांछित अभिलेखों की प्रति दी जा सकती है।

4/ प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी इन बिन्दुओं पर विधि अनुसार विचार नहीं किया है। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 11 मई 2006 निरस्त किया जाता है तथा सूचना अधिकारी, उद्योग संचालनालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित शेष अभिलेख 15 दिन के अंदर निःशुल्क प्रदान किया जावे। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी, उद्योग संचालनालय के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं दिये जाने का प्रमाण नहीं है केवल तकनीकी आधार पर ही जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही विलंब करने वाले लिपिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अतः अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त निर्देश के साथ अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त